

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

जिला कलक्टर झुंझुनू

टाइगर होम फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रहलाद राय पुत्र श्री मूलचन्द पता वारिसपुरा देरवाला झुंझुनू
राजस्थान पिनकोड 333041 वगैरह।

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 14 सिक्यो.

प्रार्थना पत्र सं. 438 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.10.2025	प्रस्तुत प्रार्थना बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.10.2025 को पेश हो।	
29-10-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली में कादेश प्रथम से उक्ति प्रामा जाइल खुले न्यायालय में हुनामा गमा तथा शामिल मिलल डिमा गमा। कादेश के अनुसार प्रार्थी का यह प्राप्प स्वीकार किया गया है। इतल पत्रावली कैलल शुमार होकर नम्बर से कम हो खं बाद तयमील जापना काविल दपतर हो। पुनश्च: इतना लिखने के बाद प्रार्थी का 2 की ओर से वकील की गतो-न कमी ने वकालतनाम व इलाखेन खली बिना 2 पेश की। (इतल इलाखेन कमी) इतल प्रकाम गमा।</p> <p>जिला कलक्टर झुंझुनू</p> <p>कि प्रकाम से माग न्यायालय इति. सिविल न्यायाधीश, झुंझुनू के डायर दिनांक 22-11-25 को बकात कादेश जारी किया गया है जो बर्मान में प्रती है। इतल इलाखेन से वकील प्रार्थी को इलाखेन प्रामा गमा। पत्रावली काइदि वास्ते उक्ति कादेश के दिनांक 12-11-25 को पेश हो।</p>	<p>जिला कलक्टर झुंझुनू</p>

जिला कलक्टर झुंझुनू

12-11-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकांत उपा, P. O. लाओ काज मुख्यालय से काहा है। पत्रावली रात कादेशावृत्ता दिनांक 13-11-25 को पेश हो
वकील
श्री

13-11-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकांत उपावृत्ता वकील प्रार्थी ने सभाना प्रांफ पेश कर प्रांफ को नोटप्रेस में खारीज करते का निवेदन किया जिसके कारण यह प्रांफ स्मरहीन हो चुका है। सारणी होने से यह प्रांफ नोटप्रेस में खारीज किया जाता है। अतः पत्रावली नोटप्रेस में खारीज किया जाता है। अतः पत्रावली प्रैतल शुभा होकर नम्बर ले कर हो एवं वाद नक्षील जाप्ता दाखिल इफ्तदा हो।

Not press
of K. K. Namdeo

(श्री अक्षय गज)
जिला कलक्टर मुंबई